

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

(500) वापस

नारायणराम

बनाम

किशनाराम वीर

किस्म मुकदमा रा० शावेदन 111, 128 RLR नं 24/22 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरीराम चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजेस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/02/2022 को पेश हो।</p>	
08/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपुत्रा विप्रार्थी/वादी</p> <p>के नोटिस तामील मय तामील अहकाम/</p> <p>सम्पन पत्रावली अधिनियम दिनांक 30/01/22</p> <p>वापस होने के कारण इल्लव डेट (अहकाम)</p> <p>दिनांक-22/02/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p>बाडमेर</p>
22/02/2022	<p>19/04/2022</p>	
19/04/2022	<p>26/04/2022</p>	

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहम
हुकम का
में जारी

न्यायालय
क्रमांक : वाए / 2022 / 134
प्रार्थी

26/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
के नोटिस तामिल भूम तामिल तामिल
पालना पीवलीन अधिवक्ता मन्डारा में पवार
डिए डी मल: मिबाल इल्लवा टोडर मागागी
दिनांक - 12/05/2022 को पेश डी/७

12/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
के नोटिस पूर्व में जरिमे रजिस्टर्ड एडीमिन
वाये गमे जिनकी एडी डरीव 2 माट ल
अधिउ ड) समय उपस्थित डी-युड) डी
जिनकी मरु ल डी उपस्थित नडीडमा सिधजा
विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडलरमा डाम्पवाडीकमल
में लाई जाली डी मल: वात्ते कथम पत्रावली
दिनांक - 27/06/2022 को पेश डी/७

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

मजयक कलक्टर (SDO)

मजयक कलक्टर (SDO)

निमा - बाडमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1134

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नारणाराम गोदपुत्र पदमाराम,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. किशनाराम पुत्र देवराज वगैरा 14,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 24 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 219, 633/509 रकबा क्रमशः 5.9219, 0.7524 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1135-39

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नारणाराम गोदपुत्र पदमाराम,
4. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र देवराज वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाडमेर